न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती भावना सिंह. (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 27/2017
दायर दिनांकः– 03/07/2017
निर्णय दिनांकः– 18.08.2022

उनवान

1. श्री उदा पिता किशना गाडरी निवासी चाकुडी, तहसील भूपालसागर।

वादी

बनाम

1. श्री उदा पिता अमरा गाडरी निवासी चाकुडी, तहसील भूपालसागर।
2. श्री भगा पिता अमरा गाडरी निवासी चाकुडी, तहसील भूपालसागर।
3. श्री मांगु पिता किशोर गाडरी निवासी चाकुडी, तहसील भूपालसागर।
4. श्री जीतु पिता किशोर गाडरी निवासी चाकुडी, तहसील भूपालसागर।
5. श्री मोहन पिता किशोर गाडरी निवासी चाकुडी, तहसील भूपालसागर।
6. तहसीलदार भूपालसागर, तहसील भूपालसागर।

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः– 1. श्री कृष्णचंद तुलछिया वादी वकील

–:निर्णयः :–

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् बंटवाडा आराजियात अंर्तगत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैः–

यह है कि मौजा चाकुडी पटवार हल्का रायपुरियाकला तहसील भूपालसागर के हल्के बेरूनी मे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 की संयुक्त खांतेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात . 864 रकबा 0. 08 हैक्ट. आ0सं0 881 रकबा 0.24 है. आ0सं0 882 रकबा 0.09 है. आ0सं0 887 रकबा 0.33 है. रकबा स्थित है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा व हक है जिसका मौके पर पक्षकारान द्वारा मौखिक बंटवाडा किया हुआ है लेकिन कानूनन बंटवाड़ा नहीं हो रखा है जिससे पक्षकारान के मध्य आराजी बोने, लगान जमा कराने बाबत विवाद रहता है। वादी जरिये बंटवाडा डिक्री अपना हिस्सा अलग से चाहता है। अतः वादी ने 1/4 हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा डिक्री करवाने हेतु निवेदन किया। इस लिए वादी को वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने का पूर्ण अधिकार है। इस बाबत् प्राथमिक डिक्री जारी कर जाकर उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा हेतु प्राथमिक डिक्री इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.05.2018 के द्वारा तहसीलदार भूपालसागर को बंटवाड़ा प्रस्ताव मौके पर जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार कर न्यायालय में भिजवानें हेतु भेजा गया। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी की बहस व बंटवाड़ा रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार भूमि बंट में रखी जाकर राजस्व रेकार्ड में इंद्राज करने के आदेश दियें जाते है। फर्द मौका व बंटवाड़ा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा–

क्र.सं	काश्तकार	आ.न.	रकबा
1	श्री उदा पिता किशना गाडरी सा0देह रहन ICICI बैक लि0 फतहनगर	881/1	0.16 है.
2	श्री उदा पिता अमरा 1/3 गाडरी ग्रा0 सेठ सह0 शाखा आकोला भगा पिता0 अमरा 1/3 (फौत के वारिस) जीतु [illegible] किशोर 1/9 मांगू पि0 किशोर 1/9 मोहन पि0 किशोर 1/9 गाडरी सा0देह	881/2 [illegible] 887	0.08 है. 0.09 है. 0.33 है.
3	श्री उदा पिता किशना 1/4 उदा पिता अमरा [illegible] अमरा 1/4 (फौत के वारिस) जीतु 1/12 मांगू [illegible] 1/2 पिता किशोर गाडरी सा0 देह खा0 रहन ICICI हिस्सा उदा पि0 किशना रहन स0 स0 आकोला हिस्सा उदा पि. अमरा	[illegible]	0.05 है. 0.06 है. 0.05 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.08.22 17:31:19 IST
Reason: SelfAttested

इस आशय की अंतिम डिक्री जारी होकर तहसीलदार भूपालसागर को राजस्व रेकार्ड में इंद्राज हेतु भेजी जावें। इस बाबत् पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2022 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)